

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-835/1/सा.प्र.वि./विविध/2021/499

भिलाई, दिनांक 09/04/2021

//आदेश//

संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक/स्था./एक /वि/747/2021/215 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 09.04.2021 के परिपालन में छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रं./एफ 4-08/2018/18/दिनांक 23.11.2020 में नगर पालिक निगम, भिलाई हेतु उप अभियंता (सिविल) पद पर चयनित अभ्यर्थियों का निकाय आबंटन तथा नियुक्ति हेतु जारी आदेश/निर्देश के अनुसरण में निकाय स्तर पर गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 20.01.2021 में की गई अनुशंसा तथा छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 4-08/2018/18 दिनांक 01.04.2021 द्वारा दी गई नियुक्ति अनुमति शर्तों के आधार पर नगर पालिक निगम, भिलाई में उप अभियंता (सिविल) पद पर निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की परीक्षा अवधि तथा नियत स्टायेपेण्ड पर (वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4200 वेतन मैट्रिक्स लेवल-8) में निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	चयनित क्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित प्रवर्ग
1	2	3	4	5
1	08	श्री शाहबाज अहमद	श्री अब्दुल लतीफ कुरेशी	अनारक्षित
2	17	श्री दीपक कुमार	श्री मनोज कुमार	अनारक्षित
3	22	श्री नवीन श्रीवास	श्री संतोष श्रीवास	अनारक्षित
4	24	श्री गौरव कुमार अग्रवाल	श्री पुरनलाल अग्रवाल	अनारक्षित
5	25	श्री चंदन निर्मल	स्व.श्री व्ही.के.निर्मल	अनारक्षित
6	26	श्री कृष्ण कुमार जंघेल	श्री अशोक जंघेल	अनारक्षित
7	44	सुश्री विनीता निर्मल	श्री धुरवा राम निर्मल	अनारक्षित
8	47	श्री अजय पटेल	श्री कवल सिंह पटेल	अनारक्षित (विकलांग)
9	16	श्री अविनाश चन्द्रवंशी	श्री मोतीलाल चन्द्रवंशी	अनुसूचित जनजाति

- यह नियुक्ति छ.ग. नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों) नियम 2018 के अध्याधीन रहेगी।
- यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों में असत्य/गलत पाये जाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख को होगा।
- नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
- किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना अथवा सूचना के एवज में एक माह का वेतन/भत्तों देने पर सेवा समाप्त समझी जावेगी।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात 01 माह के भीतर अनिवार्य रूप से पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा कार्य पर उपस्थिति मान्य नहीं किया जावेगा तथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्रमश.....

E:Drive/R.Y/order

6. पदभार ग्रहण करते समय प्रमुख जिला चिकित्सालय दुर्ग का शारीरिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं एक नम कोरी सेवापुस्तिका प्रस्तुत करना होगा।
7. पदभार ग्रहण करने पर निगम द्वारा संबंधित कर्मचारी का पृथक से पुलिस विभाग से चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध यदि विपरीत टिप्पणी दी जाती है तो संबंधित का उपरोक्त नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जावेगा।
8. कार्य पर उपस्थिति के समय अपने शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता संबंधी मूल प्रमाण-पत्रों को लाना अनिवार्य होगा।

  
(**ऋतुराज रघुवंशी**)  
आई.ए.एस.  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
मिलाई

मिलाई, दिनांक 09/03/2021

पृ.क्रमांक/एफ-835/1/सा.प्र.वि./विविध/2021/500  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
3. प्रशासक, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. दुर्ग को सूचनार्थ।
5. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
8. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
10. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ।
11. प्रोग्रामर डाटा सेंटर नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाइट में अपलोड हेतु।
12. स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, मिलाई को अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ।
13. सर्व संबंधित श्री/सुश्री.....को सूचनार्थ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
मिलाई